आदेश पर ... बारे में टिप्पणी

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

(5)

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 06/2017–18

संजय यादव उर्फ संजय प्रसाद यादव ....आवेदक

बनाम्

16/– रैयत मौजा पगवारा पुरब पट्टी .... विपक्षी

।। आदेश ।।

25/09/2018

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 06/17–18 संजय यादव उर्फ संजय प्रसाद यादव बनाम् 16/– रैयत मौजा पगवारा पूरब पट्टी, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 120/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा 16/– रैयतों की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पगवारा पूरब पट्टी के प्रधान आवेदक के पिता थे। मौजा के पूर्व प्रधान को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा बरखास्त किया जा चुका है। आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया एवं 16/– रैयतों को आपत्ति दाखिल करने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। 16/– रैयतों की ओर से किसी प्रकार का आपत्ति आवेदक के विरूद्ध दाखिल नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट के पत्रांक 603/रा0 दिनांक 10.11.2012 द्वारा निम्न न्यायालय में समर्पित प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न है, के अनुसार आवेदक के पिता पूर्व प्रधान सहदेव मांझी को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रधान पद से बर्खास्त किया गया है जिसके विरूद्ध माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में अपील दायर किया गया है जो लंबित है। माननीय

2

आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में अपील लंबित रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

आवेदक द्वारा आवेदन में अनुरोध किया गया है कि पूर्व प्रधान सहदेव मांझी की मृत्यु हो चुकी है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए उन्हें सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया जाय।

आवदेक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि पूर्व प्रधान की मृत्यु हो चुकी है, उनपर लगे आरोप उनके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा। अतः आवेदक को प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाय। उनके द्वारा अपने दावों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची के डब्लू.पी. (सी.) नं0– 3108/2004 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2008 की प्रति दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख है कि–

> **The Stigma, if any attached to the order of dismissal of the earlier Pradhan, does not call for clearance after his death. The Concerned authorities shall make appointment of the successor of the earlier Pradhan I.e., Present Petitioner in accordance with Low.**

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता जो मौजा के पूर्व प्रधान थे, को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है। इसके विरूद्ध अपील माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में लंबित रहने के कारण आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। चुँकि पूर्व प्रधान की मृत्यु हो चुकी है अतः निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि मौजा के प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 15:40:05 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।